"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई. दिनांक 30-05-2001."

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 321] रायपुर, मंगलवार, दिनांक 14 जुलाई 2020 — आषाढ़ 23, शक 1942

ऊर्जा विभाग

छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग
सिंचाई कालोनी, शांति नगर, रायपुर

रायपुर, दिनांक 13 जुलाई 2020

अधिसूचना

छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग (नवीकरणीय क्रय दायित्व एवं नवीकरणीय ऊर्जा प्रमाण पत्र संरचना क्रियान्वयन) (प्रथम संशोधन) विनियम, 2020

क्रमांक 87/छ.ग.रा.वि.आ./2020.— विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 86(1)(ई) के साथ पठित धारा 181 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों और इस निमित्त समर्थ बनाने वाली समस्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग, पूर्व प्रकाशन के पश्चात्, छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग (नवीकरणीय क्रय दायित्व एवं नवीकरणीय ऊर्जा प्रमाण पत्र संरचना क्रियान्वयन) विनियम, 2016 (इसके पश्चात् इसे 'मूल विनियम' कहा गया है) बनाता है। ये विनियम 01–04–2016 से प्रभावशील है। इन विनियमों में दायित्वीकृत एकक और दायित्वीकृत एकको द्वारा न्यूनतम नवीकरणीय क्रय दायित्व की मात्रा वित्तीय वर्ष 2016–17 से 5 वर्षो तक के लिये निर्धारित किये गऐ हैं।

मूल विनियमों को ध्यान में रखते हुए मूल विनियमों को संशोधित करने के लिये आयोग एतद्द्वारा निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात् :–

1. संक्षिप्त नाम एवं प्रारम्भः–

(1) इन विनियमों को ''छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग (नवीकरणीय क्रय दायित्व एवं नवीकरणीय ऊर्जा प्रमाण पत्र संरचना क्रियान्वयन) (प्रथम संशोधन) विनियम, 2020'' कहा जायेगा।

(2) ये विनियम छत्तीसगढ़ राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से प्रभावशील होंगे।

2. मूल विनियमों के विनियम 4.3 में संशोधनः–

विनियम 4.3 के अंतिम परंतुक के पश्चात् निम्नलिखित परंतुक जोंड़े जाऐगें :–

परंतु यह भी कि ऐसे केप्टिव उपभोगकर्ताओं के लिये, जो उन केप्टिव उत्पादन संयंत्रों की विद्युत का उपयोग करते हैं, जिनमें विद्युत उत्पादन 01 अप्रैल 2016 के पूर्व प्रारंभ हुआ हो, वही नवीकरणीय ऊर्जा क्रय दायित्व का लक्ष्य लागू होगा, जो वर्ष 2015–16 के लिये निर्धारित था अर्थात् 1 प्रतिशत सौर तथा 6.25 प्रतिशत अन्य नवीकरणीय ऊर्जा।

परंतु यह भी कि केप्टिव उत्पादक संयंत्रों में उत्पादन यदि 01 अप्रैल 2016 को या उसके पश्चात् हुआ हो तो केप्टिव उपयोगकर्ताओं के लिए नवीकरणीय ऊर्जा क्रय दायित्व का लक्ष्य वही होगा, जो इस संयंत्र के प्रारंभ होने के वर्ष के लिये इन विनियमों में विनिर्दिष्ट या ऊर्जा मंत्रालय द्वारा अभिनिर्धारित लक्ष्य जो भी अधिक हो,

परंतु यह भी कि इस दशा में जब किसी केप्टिव उत्पादन संयंत्र की क्षमता में कोई अभिवृद्धि हो तो उस वर्द्धित क्षमता के लिये नवीकरणीय ऊर्जा क्रय दायित्व का वही लक्ष्य लागू होगा, जो इन विनियमों में उस वर्ष के लिए विनिर्दिष्ट हो, जिस वर्ष उस संयंत्र की क्षमता में अभिवृद्धि की जाये।

हस्ता. /-

(एस.पी.शुक्ला)
सचिव.

Raipur, the 13th July 2020

NOTIFICATION

CHHATTISGARH STATE ELECTRICITY REGULATORY COMMISSION (RENEWABLE PURCHASE OBLIGATION AND REC FRAMEWORK IMPLEMENTATION) (FIRST AMENDMENT) REGULATIONS, 2020

No. 87/CSERC/2020.— In exercise of powers vested under section 86 read with Section 181 of the Electricity Act 2003 (36 of 2003) and all other powers enabling it in this behalf, this Commission made Chhattisgarh State Electricity Regulatory Commission (Renewable Purchase Obligation and REC framework Implementation) Regulations, 2016 (here after called "the Principal Regulations"). These regulations were applicable from April01, 2016. In these regulations, obligated entities and minimum quantum of electricity to be procured by obligated entities as percentage of total consumption for five years starting 2016-17 have been specified.

In pursuance of the Principal Regulations, the Commission hereby makes the following regulations to amend the Principal Regulations.

1. Short title and commencement

1.1 These Regulations may be called the Chhattisgarh State Electricity Regulatory Commission (Renewable Purchase Obligation and REC Framework Implementation) (First Amendment) Regulations, 2020.

1.2 These Regulations shall come into force from date of notification in the CG Rajpatra.

2. Amendment of Regulation 4.3 of the Principal Regulations

Following proviso shall be added after last proviso of regulation 4.3.

Provided also that captive users, consuming electricity from captive generating plants (CGP), commissioned before 1st April 2016, shall have RPO target applicable for FY 2015-16, which is 1% solar and 6.25% non-solar.

Provided also that for CGPs commissioned after 1st April 2016 onwards, the RPO levels as specified in these Regulations or MoP trajectory, whichever is higher, for the year of commissioning of the CGPs shall be applicable.

Provided also that in case of any augmentation in the capacity of the CGPs, the RPO for augmented capacity shall be the RPO applicable as specified in these Regulations for the year in which the CGPs have been augmented.

Sd/-

(S. P. Shukla)
Secretary.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित - 2020.